



भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय/  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF DEFENCE  
रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन  
DEFENCE R&D ORGANISATION  
**सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र**  
**CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**  
मारतहल्ली कालोनी पोस्ट आफिस, बंगलोर  
MARATHAHALLI COLONY P.O.  
BANGALORE - 560 037.

**वर्ग अनुमोदन सं./Type Approval No.1028**

**मद/FOR ITEM: 14 तरह के पोलीसिल-6 के सीलिन्ग रिंग्स एण्ड गेस्कैट्स**

**SEALING RINGS AND GASKETS OF POLYSIL-6 – 14 Types**

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स पॉलिमर एंटरप्राइजेस, ई-41, एम.आई.डी.सी सतपुर, नासिक-422 007 द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित “14 तरह के पोलीसिल-6 के सीलिन्ग रिंग्स तथा गेस्कैट्स”, पार्ट सं. अनुलग्नक-1 के अनुसार, मरम्मत के समय आरडी33 इंजन के इलेक्ट्रिकल असेसरीज़ में उपयोग के लिए, आरेखन सं.अनुलग्नक-1 के अनुसार उत्पादन के लिए अनुमोदित किया जाता है। इसे आर.सी.एम.ए(कोरापुट), सूनाबेदा के समन्वय से नियंत्रक विनिर्देश/टेस्ट शेड्यूल सं.टीएस/504-2001 दिनांक 27 दिसम्बर 2001 के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह परिशिष्ट‘ए’ में संलग्न “वर्गरिकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेन्ट” में विवरित विवरण/परीक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है।

*This is to certify that the “Sealing Rings and Gaskets of POLYSIL-6 14 Types” bearing Pt. Nos. as per Annexure-I designed, developed & manufactured by M/s Polymer Enterprises, E-41, MIDC Satpur, Nashik-422 007 are hereby approved for production as per drawing No. indicated at Annexure-I for use in Electrical accessories of RD-33 engine during overhaul. These have been tested as per governing specification/test schedule No. TS/504-2001 dated 27<sup>th</sup> Dec 2001 in co-ordination with RCMA(Koraput), Sunabeda. These have met the requirements as detailed in type record compliance statement enclosed at Appendix ‘A’.*

2. ऊपरलिखित वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संगत आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में प्रतिबिंबित किया जाना चाहिये ।

*The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.*

3. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.ए.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी पर आधारित है ।

*This approval is contingent upon the quality control aspects of bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Govt. of India.*

4. यह वर्ग अनुमोदन **31 दिसम्बर 2008** तक वैध है और इसके बाद में इसका नवीकरण करवाना होगा । विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए आर.सी.एम.ए(कोरापुट), सूनाबेदा से अनुरोध करना होगा ।

*This Type Approval is valid up to 31<sup>st</sup> Dec 2008 and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA (Koraput), Sunabeda for subsequent renewal, three months before the expiry of Type Approval.*

5. अगर इस अनुमोदन को किसी अन्य अभिकरण में स्थानांतरण करना हो या संलग्न टाइप रेकार्ड में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र (सेमिलाक), बंगलोर की पूर्व सहमति लेनी होगी ।

*Prior agreement of Centre for Military Airworthiness & Certification,(CEMILAC) Bangalore, will have to be obtained if this approval is to be transferred to any other agency or if changes within the Type Record enclosed are effected.*

संलग्न/Encl : परिशिष्ट 'ए' /Appendix 'A'

सं/No. : सेमिलाक/CEMILAC/5070/ टी.ए/TA- 1028

दिनांक/Date : 29 दिसम्बर 2003

फेक्स सं/Fax No : 080-5230856

*J.K. Sharma*  
29/12/03  
(जे.के.शर्मा/J.K.SHARMA)

मुख्य कार्यपालक(उडनयोग्यता)/  
Chief Executive (Airworthiness)

*ke*  
19/12/03